फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

सुरेन्द्र सिंह नागपाल बनाम नानगी वगै0

दमा नं0 :—120 / 2024

या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	08.08.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार आंधी ने अपने पत्रांक / भू0अ0 / 24 / 687 दिनांक 08.08.24 द्वारा रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगणों को बार—बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 12.08.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला—जयपुर	
	12.08.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार करना उचित समझते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधि0 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की ग्राम सायपुर, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 941 / 806 रकबा 0.8800है0 में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नही की जावें एव ना ही किसी को कब्जा संभलावें। अगर किसी पड़ौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते है तो उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें। निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जयपुर (ललित मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	